न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबडी (नागौर)
बईजलास श्री सुरेश कुमार आर. ए. एस.
मुकदमा संख्या 26/2024

संपतराज पुत्र शिम्भूलाल
जाति महाजन निवासी जसनगर तहसील रियांबडी जिला नागौर

बनाम

गण
पुष्पादेवी पत्नी शिम्भूलाल जाति महाजन
निवासी जसनगर तहसील रियांबडी जिला नागौर
मंजू देवी पुत्री शिम्भूलाल पत्नी प्रदीप कुमार जैन जाति महाजन
निवासी भावी तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
अंजु भंडारी पुत्री शिम्भूलाल पत्नी प्रवीण कुमार जाति महाजन
निवासी गुर्जर गौड छात्रावास ब्यावर तहसील व जिला ब्यावर
सोनू जैन पुत्री शिम्भूलाल पत्नी जितेन्द्र कुमार जाति महाजन
निवासी बडा खेडा तहसील टाटगढ जिला ब्यावर हाल चैन्नई तमिलनाडु
तहसीलदार रियांबडी
पटवारी हलका जसनगर
उपपंजीयक रियांबडी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 12/8/24

प्रार्थी की ओर से निम्नलिखित प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि

1. यह है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण 1 से 4 एक ही परिवार के सदस्य है दोनो हिन्दु है। हिन्दु विधि की मिताक्षरा शाखा से गवर्न होते है।
2. मौजा जसनगर की सरहद में स्थित खेत खसरा नंबर 791 रकबा 1.26 हैक्टर, खसरा नंबर 793 रकबा 0.01 हैक्टर गैर मुमकिन बेरा, खसरा नंबर 794 रकबा 0.24 हैक्टर खसरा नंबर 796 रकबा 0.16 हैक्टर, खसरा नंबर 798 रकबा 0.93 हैक्टर कुल खसरा 5 कुल रकबा 2.60 हैक्टर भूमि प्रार्थी की अकेले की कब्जा काश्त सुद आई हुई है। वर्तमान में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 से 4 की खातेदारी में दर्ज है। यहां यह लिखना सुसंगत रहेगा कि उपरोक्त खसरान की भूमि अपने पिता से उपराधिकार में बंट के रूप में प्राप्त हुई है। जिसकी खातेदारी पूर्व में प्रार्थी व उसकी माता अप्रार्थी संख्या 1 के नाम 1/2–1/2 हिस्सा दर्ज थी परन्तु अप्रार्थी संख्या 2 से 4 अप्रार्थी संख्या 1 के सोचने समझने में नही थी। जिससे अपने प्रभाव में लेकर 1/2 हिस्सा की भूमि गलत व फर्जी दानपत्र निष्पादित कर पंजीयन करवा लिया जिससे वर्तमान में उपरोक्त खसरान की भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 से 4 की खातदोरी में दर्ज है। जिसका विस्तृत खुलासा आगे किया जायेगा। उपरोक्त खसरान आगे प्रार्थनाप पत्र मे संबोधित है।
3. यह है कि विवादित खसरान प्रारंभ में प्रार्थी के पिता शिम्भूलालजी की खातेदारी में आये हुए थे। प्रार्थी के पिता शिम्भूलाल जी ने अपनी संपतियो का बंट कर दिया। अप्रार्थी संख्या 2 से 4 को उनके विवाह आदि में बंट में नकदी व सोना चांदी के आभूषण दे दिये। उसके पश्चात समय समय पर नकदी व आभूषण बंट के रूप मे दिये गये है। चूंकि अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी के साथ निवास करती है। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 का आजीविका की पूर्ति करता है एवं इनका उचित भरण पोषण व जायज जरूरत की पूर्ति करता है जिससे विवादित खसरान की भूमि की खातेदारी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज रही जिससे प्रार्थी को अपने अकेले के नाम खातेदारी दर्ज करवाने की आवश्यकता महसूस नही हुई किन्तु उपरोक्त खसरान की सहुलियत से बंटवारा हो चुका है। अप्रार्थी संख्या 2 से 4 को उनके विवाह आदि में सोने चांदी के आभूषण व सामान इत्यादि बंट के रूप में दे दिये है जिससे अप्रार्थी संख्या 2 से 4 ने अपना संपूर्ण हक हिस्सा व अधिकार के हक में तर्क कर दिया। अप्रार्थी संख्या 1 का विवादित खसरान में किसी भी प्रकार का बंट नही रखा गया

उपखण्ड अधिकारी
रियांबडी(नागौर)

है जिससे वर्तमान में प्रार्थी अकेला ही काश्त काबिज है। इस प्रकार वाके मौजा जसनगर की सरहद में स्थित खसरा नंबर 791 रकबा 1.26 हैक्टर, खसरा नंबर 793 रकबा 0.01 हैक्टर गैर मुमकिन बेरा, खसरा नंबर 794 रकबा 0.24 हैक्टर खसरा नंबर 796 रकबा 0.16 हैक्टर, खसरा नंबर 798 रकबा 0.93 हैक्टर कुल खसरा 5 कुल रकबा 2.60 हैक्टर की भूमि प्रार्थी के अकेले की बंटसुदा व काश्त कब्जा सुदा है। यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 वृद्व है। अपने सोचने समझने की हालत में नही है। अप्रार्थी संख्या 1 अप्रार्थी संख्या 2 से 4 की सिखावट में आई हुई है तथा खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम 1/2 चली आ रही थी जिसका नाजायत फायदा उठाकर अप्रार्थी संख्या 2 से 4 विवादित खसरान की भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम 1/2 हिस्सा की भूमि रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 01.03.2024 निष्पादित कर अप्रार्थी संख्या 7 के कार्यालय में पंजीयन करवा लिया। वर्तमान खातेदारी भूमि म्यूटेशन ओनलाईन ही दर्ज होने से अप्रार्थी संख्या 2 से 4 के नाम दर्ज हो गई जिससे अप्रार्थी संख्या 1 से 4 बदनियति पर आमादा होकर प्रार्थी को बंटसुदा भूमि से बेदखल कर महरूम करने के उदेश्य से कथित दानपत्र दिनांक 01.03.2024 को निष्पादित कर पंजीयन करवाया है। अब अप्रार्थी संख्या 2 से 4 अन्यत्र बेचान व हस्तांरण करने पर आमादा है। जो प्रथम दृष्टया फर्जी अवैध व शून्य खारीज किये जाने योग्य है। तथा प्रार्थी के हक हुकुक व अधिकारो के प्रति बेअसर शून्य व निष्प्रभावी है जिस हेतु प्रार्थी ने वाद घोषणा का पेश कर दिया है जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दर्ज कर नोटिस जारी किया समें अप्रार्थी संख्या 1 से 4 को तलब किया जाकर अप्रार्थी की ओर से वकील अर्जुनपुरी ने वकालतनामा जवाब प्रस्तुत किया। बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने संयुक्त कथन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के व पैतृक होने से पिता शिम्भूलाल ने अपने जीवन काल में बंटवाडा कर दिया था जिसमें जमीन प्रार्थी व प्रार्थी संख्या 1 के नाम रखी व अप्रार्थी संख्या 2 से 4 को आभूषण नकदी आदि दे दिये थे एवं अप्रार्थी ख्या 1 प्रार्थी की माता है। उसका भरण पोषण व हर जायज जरूरत प्रार्थी ही करता है जो इस जमीन ो आय से करता है। इसीसे परिवार का भरण पोषण व आजीविका चलाता है। अप्रार्थी के वकील ने अपने वाब दावा में कथन किया कि माता अप्रार्थीसख्या 1 ने खुश होकर रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 01.03.24 ो अप्रार्थीग्ण संख्या 2 से 4 के पक्ष में करवाया एवं माता की सेवा अप्रार्थी संख्या 2 से 4 पुत्रिया ही करती ा रही है। एवं कोई बंट में आभूषण व नकदी दी गई और न ही पूर्व में जमीन का बंटवाडा किया गया है। वं अप्रार्थी संख्या 2 से 4 के हक में अप्रार्थी संख्या 1 माता ने वैध तरीके से दानपत्र किया है जो फर्जी व ून्य नही है। व वकील अप्रार्थी ने बहस में कथन किया कि हिन्दु उपराधिकार अधिनियम धारा 14 के तहत वेधवा को जो संपति प्राप्त होती है। वह स्वअर्जित होती है। इसलिये इस गिफट डीड को प्रार्थी किसी कार से चैलेज करने का अधिकारी नही है। वैसे भी अप्रार्थी संख्या 2 से 4 शिम्भूलाल की खातेदारी में बराबर की हकदार है। परन्तु उन्होने इस बाबत कोई वाद पेश नही किया है एवं अप्रार्थी संख्या 1 माता के द्वारा जो दानपत्र प्राप्त किया है। वो विधिक रूप से वैध है जिसमें प्रार्थी को कोई हक हुकुक नही है।

वकील प्रार्थी व अप्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में मौजूद राजस्व रेकर्ड का वलोकन किया गया जिसमे पाया गया कि अप्रार्थी संख्या 1 ने वैध दानपत्र अप्रार्थी संख्या 2 से 4 के हक में करवाया गया जिसमें प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण नही बनना पाया गया है बल्कि अप्रार्थी संख्या 2 से 4 के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु बनना पाया जाता है जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र, के तीनो बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में न होकर अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पक्ष में होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। इस न्यायालय द्वारा पूर्व स्थगन आदेश दिनांक 19.03.2024 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12/4/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी (नागौर)